

फार्म - एनबीएस 1

31 मार्च 20.. की स्थिति के अनुसार जमाराशियों की वार्षिक विवरणी (जनता से जमाराशियां स्वीकार करने/ रखनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा - अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर, प्रस्तुत की जानेवाली)

फाईल सं.	
पहचान सं.	
कारोबार का प्रकार	
जिला कूट	
राज्य कूट	
(भारिबैं द्वारा भरा जाए)	

कंपनी का नाम :

विवरणी भरने के लिए अनुदेश - सामान्य

1. यह विवरणी 31 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी.118/ डीजी(एसपीटी)-98 के पैरा 8(3) द्वारा कवर की गई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और 20 जून, 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी.39/ डीजी(एच)-77 के पैरा 11 द्वारा कवर की गई विविध गैर-बैंकिंग कंपनी, वर्ष में एक बार संबंधित कंपनी के वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख पर ध्यान दिए बगैर **31 मार्च को उसकी स्थिति के संदर्भ में** 31 मार्च के बाद और हर हाल में 30 सितंबर तक भारतीय रिजर्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जहां इसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है, प्रस्तुत की जाए। कंपनी के लेखापरीक्षकों से इसके साथ दिये गये फार्मेट के अनुसार प्रमाण पत्र विवरणी में संलग्न किया जाए। लेकिन केवल भाग-3 के लिए सूचना अद्यतन किन्तु विवरणी की तारीख के पूर्व तुलन पत्र के अनुसार प्रस्तुत की जाए।

ध्यान दें : दिनांक 13.1.2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस.135/ सीजीएम (वीएसएनएम) 2000 के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपने तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2001 को समाप्त अपने लेखावर्ष से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार तैयार करेंगी। अतः 31 मार्च 2001 को समाप्त

लेखावर्ष से विवरणी के **भाग 3** में सूचना चालू तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार इस विवरणी की तारीख के समरूप होगी।

2. विवरणी की प्रस्तुति में वार्षिक लेखों के लेखा परीक्षण को अंतिम रूप देने/ पूरा करने जैसे किसी कारण से किसी भी तरह का विलंब नहीं होना चाहिए। विवरणी का संकलन कंपनी की लेखा बही में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए तथा यह इसके सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
3. **लेखों की संख्या** वास्तविक आंकड़ों में दी जानी चाहिए जबकि **जमा की राशि लाख रुपये में दर्शायी जानी चाहिए**। राशि को निकटतम लाख पूर्णांकित किया जाए। उदाहरणार्थ 4,56,100 रु. की राशि को 5 के रूप में न कि 4.6 के रूप में अथवा 5,00,000 के रूप में दर्शाया जाए। इसी प्रकार, 61,49,500 रु. की राशि को 61 न कि 61.5 अथवा 61,00,000 के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
4. विवरणी प्रबंधक (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 में यथापरिभाषित) तथा यदि ऐसा कोई प्रबंधक न हो तो कंपनी के प्रबंध निदेशक अथवा किसी पदाधिकारी द्वारा जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत प्राधिकृत किए गए हैं और जिनके नमूना हस्ताक्षर इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किए गए हैं, हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि नमूना हस्ताक्षर निर्धारित कार्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो प्राधिकृत किया गया पदाधिकारी विवरणी पर अवश्य हस्ताक्षर करे तथा उसका नमूना हस्ताक्षर अलग से प्रस्तुत किया जाए।
5. यदि विवरणी के किसी भाग/ मद में रिपोर्ट करने के लिए कुछ न हो तो संबंधित भाग/ मद को 'खातों की संख्या' के लिए बने कॉलम में '**कुछ नहीं**' के रूप में लिखा जाए तथा **00** को 'राशि' के लिए बनाए गए स्तंभ में लिखा जाए।
6. इस विवरणी में उल्लिखित 'सहायक कंपनियों' और 'उसी समूह की कंपनियों' का अर्थ 31 अक्टूबर 1998 के कंपनी अधिनियम में संशोधन पूर्व दर्शाए गए अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा क्रमशः 4 और 372(11) में निर्धारित किया गया है।
7. यदि इस विवरणी को विनिर्दिष्ट वेब सर्वर को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (इंटरनेट) द्वारा फाइल किया जाता है तो विधिवत हस्ताक्षरित उसकी एक हार्ड कॉपी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।

कंपनी प्रोफाइल

1.	कंपनी का नाम							
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता							
		पिन <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
	फोन सं.	फैक्स सं.	ई-मेल पता					
3.	राज्य का नाम जहां कंपनी पंजीकृत है							
4.	कारपोरेट/ प्रधान कार्यालय का पता							
		पिन <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						
	फोन सं.	फैक्स सं.	ई-मेल पता					
5.	निगमन की तारीख							
6.	कारोबार शुरू होने की तारीख							
-7.	नाम और आवासीय पते : i) अध्यक्ष							

	ii) प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी				
8.	क्या यह एक सरकारी कंपनी है (कृपया टिक करें)	हां		नहीं	
9.	कंपनी की हैसियत (कृपया टिक करें) :				
		(i) पब्लिक लि.		(ii) डीमड पब्लिक	
		(iii) प्राइवेट लि.		(iv) संयुक्त उद्यम	
10.	कंपनी का वित्तीय वर्ष				
11.	कारोबार का स्वरूप				
12.	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकरण की हैसियत i) पंजीकरण के प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई हो				
	ii) यदि पंजीकृत नहीं है तो क्या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत किया गया है/ विचाराधीन है।				
13.	कंपनी का वर्गीकरण (यदि रिजर्व बैंक द्वारा किराया खरीद/ पट्टे देनेवाली/ ऋण/ निवेश/ एमबीसी आदि के रूप में की गई है और ऐसे वर्गीकरण की संदर्भ संख्या और तारीख)				

14.	<p>साख श्रेणी निर्धारण :</p> <p>i) दी गई साख श्रेणी</p> <p>ii) साख श्रेणी निर्धारण की तारीख</p> <p>iii) साख श्रेणी निर्धारण एजेंसी का नाम</p> <p>iv) पिछले साख श्रेणी निर्धारण के बाद क्या कोई परिवर्तन हुआ है (ब्योरे दें)</p>	
15.	<p>शाखाओं/ कार्यालयों की संख्या</p> <p>(कृपया नोट 1 के अनुसार नीचे दिए गए फार्मेट में उसके नाम और पत्तों की सूची संलग्न करें)</p>	
16.	<p>यदि सहयोगी कंपनी है तो कृपया धारक कंपनी का नाम और पता बताएं</p>	
17.	<p>यदि कंपनी की सहायक कंपनियां/ सहयोगी कंपनियां हैं उसकी संख्या (कृपया नोट 2 में नीचे दिए गए फार्मेट में उनके नाम, पते, निदेशकों के नाम और कारोबारी कार्यकलापों के ब्योरों की सूची संलग्न करें)</p>	
18.	<p>यदि संयुक्त उद्यम है तो प्रवर्तक संस्था/ संस्थाओं के नाम और पते</p>	
19.	<p>कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक का पता और फोन संख्या</p>	
20.	<p>कंपनी के बैंकों के नाम, पते और फोन संख्या</p>	

टिप्पणी (1) : शाखाओं के विस्तृत**विवरण देने के लिए फार्मेट :**

क्रम सं.	शाखा का नाम	खुलने की तारीख	पता	शहर	जिला	राज्य	जनता की जमाराशि की राशि
	शाखाओं की कुल संख्या						सभी शाखाओं की जनता की कुल जमाराशियां राशि)
							दिनांक के तुलनपत्र के अनुसार जनता की कुल जमाराशियां

टिप्पणी (2) : सहयोगी संस्थाओं के विस्तृत विवरण देने के लिए फार्मेट :

क्रम सं.	सहयोगी संस्था का नाम	पता	निदेशकों के नाम	कारोबार की गतिविधियां

भाग I

जनता की जमाराशियां

(राशि लाख रुपए में)

मद सं.	विवरण	मद कोड	खातों की संख्या	राशि
1.	मीयादी जमाराशियां, आवर्ती जमाराशियां, आदि के रूप में जनता से प्राप्त जमाराशियां	111		
2.	(i) पब्लिक लिमिटेड कंपनी (निधियों से इतर) द्वारा शेयरधारकों से प्राप्त जमाराशियां	112		
	(ii) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा प्रथम शेयरधारक से इतर अन्य संयुक्त शेयरधारकों से प्राप्त जमाराशियां	113		
3.	(i) अपरिवर्तनीय गैर-जमानती डिबेंचरों के निर्गम द्वारा प्राप्त राशि (कृपया नीचे दिए गए अनुदेश सं.1 देखें)	114		
	(ii) जनता से प्राप्त किसी अन्य प्रकार की जमाराशियां (कृपया निर्दिष्ट करें)	115		
4.	कुल (111 से 115)	110		
5.	उपर्युक्त मद 4 में कुल जमाराशियों में से, जो चुकौती योग्य हैं -	121		
	(i) 1 वर्ष के अंदर			
	(ii) 1 वर्ष के बाद किन्तु 2 वर्ष तक	122		
	(iii) 2 वर्ष के बाद किन्तु 3 वर्ष तक	123		
	(iv) 3 वर्ष के बाद किन्तु 5 वर्ष तक और	124		
	(v) 5 वर्ष के बाद	125		
6.	कुल (121 से 125)	120		

मद सं.	विवरण	मद कोड	खातों की संख्या	राशि
7.	उपर्युक्त मद 4 में जनता की जमाराशियों के ब्योरे, ब्याज दर के अनुसार (दलाली को छोड़कर, यदि कोई हो)			
	(i) 10% से कम	131		
	(ii) 10% अथवा उससे अधिक किन्तु 12% से कम	132		
	(iii) 12% अथवा उससे अधिक किन्तु 14% से कम	133		
	(iv) 14% अथवा उससे अधिक किन्तु 16% से कम	134		
	(v) 16% पर	135		
	(vi) 16% से अधिक किन्तु 18% तक	136		
	(vii) 18% से अधिक	137		
8.	कुल (131 से 137)	130		
9.	आकार के अनुसार जनता की जमाराशियों के ब्योरे			
	(i) जनता से प्राप्त मीयादी जमाराशियां आदि (उपर्युक्त मद सं.1 देखें)			
	क) 10,000 रु. तक	141		
	ख) 10,000 रु. से अधिक	142		
	(ii) पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में शेयर धारकों से प्राप्त जमाराशियां (उपर्युक्त मद सं.2 देखें)			
क) 10,000 रु. तक	143			
ख) 10,000 रु. से अधिक	144			

मद सं.	विवरण	मद कोड	खातों की संख्या	राशि
	(iii) अपरिवर्तनीय गैर-जमानती डिबेंचर (उपर्युक्त मद सं.3 देखें)			
	क) 10,000 रु. तक	145		
	ख) 10,000 रु. से अधिक	146		
10.	कुल (141 से 146) [मद 110 के सामने दर्शायी गई राशि के साथ मिलान होना चाहिए]	140		
11.	उपर्युक्त मद सं. 4 में दी गई जमाराशियों में से :i) जो परिपक्व हो गई हैं किन्तु जिनका दावा नहीं किया गया	151		
	ii) वे जो परिपक्व हो गई हैं, जिनका दावा किया गया है किन्तु भुगतान नहीं हुआ है (कृपया नीचे दिया गया अनुदेश सं.2 देखें)	152		
	क) जनता से (उपर्युक्त मद सं.1 देखें)	153		
	ख) शेयरधारकों से (उपर्युक्त मद सं.2 देखें)	154		
	ग) डिबेंचर धारकों से (उपर्युक्त मद सं.3 देखें) कृपया संलग्नक सं. . . . में (क), (ख)और (ग) के ब्योरे प्रस्तुत करें)	155		

मद सं.	विवरण	मद कोड	खातों की संख्या	राशि
	iii) जो उपर्युक्त मद (ii) के सामने दर्शाए गए हैं जिनके लिए सीएलबी ने चुकौती के लिए आदेश दिया है	156		
12.	दलाली के भुगतान द्वारा वर्ष के दौरान जुटाई गई जनता की जमाराशियां	157		
13.	भुगतान की गई दलाली	158		
14.	13 से 12 का %	159		
15.	परिपक्व हुई किन्तु 7 वर्ष तक दावा न की गई जनता की जमाराशियां - इसमें वह वर्ष भी शामिल है जिसमें वे परिपक्व हुई	160		

अनुदेश :

1. आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों/ बांडों के मामले में, परिवर्तनीय अंश को भाग-2 के मद 9 के सामने दर्शाया जाए। अपरिवर्तनीय गैर-जमानती डिबेंचरों को इस मद के अंतर्गत शामिल किया जाए।
2. प्रत्येक जमाराशि की चुकौती न होने के कारणों और चुकौती के लिए की गई कार्रवाई को, सीएलबी आदेश के अनुपालन (यदि कोई हो) सहित, एक संलग्नक में दर्शाया जाए।

भाग - 2

अन्य उधारों के ब्योरे

मद सं.	विवरण	मद कोड	खातों की संख्या	राशि
1.	केंद्र/ राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकरण/ अन्य से उधार ली गई राशि जिसकी चुकौती की गारंटी केंद्र/ राज्य सरकारों ने दी है	221		
2.	निम्नलिखित से उधार ली गई राशि :			
	i) विदेशी सरकार	222		
	ii) विदेशी प्राधिकरण	223		
	iii) विदेशी नागरिक अथवा व्यक्ति	224		
	कुल (222 से 224)	225		
3.	निम्नलिखित से उधार :			
	(i) बैंक	226		
	(ii) अन्य विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाएं	227		
4.	किसी अन्य कंपनी से उधार ली गई राशि	228		
5.	निदेशकों/ प्रवर्तकों से प्राप्त गैर जमानती ऋण	229		
6.	प्राइवेट कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से उधार ली गई राशि	230		
7.	जमानत जमा के रूप में कंपनी कर्मचारियों से प्राप्त और कंपनी एवं कर्मचारियों के नाम में संयुक्त खाते में किसी अनुसूचित बैंक अथवा किसी डाकघर में रखी गई राशि	231		

मद सं.	विवरण	मद कोड	खातों की संख्या	राशि
8.	जमानती राशि, मार्जिन राशि के रूप में उधारकर्ता, पट्टेदार, किराएदार से प्राप्त अथवा कंपनी के कारोबार के दौरान जमानत या अग्रिम के रूप में एजेंट से प्राप्त राशि अथवा माल अथवा असबाव की आपूर्ति के आदेश पर अथवा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त अग्रिम	232		
9.	परिवर्तनीय अथवा जमानती डिबेंचरों/ बांडों के निर्गम द्वारा प्राप्त राशि (कृपया नीचे दिए अनुदेश देखें)	233		
10.	उपर्युक्त में से बैंकों/ अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अभिदत्त डिबेंचर	234		
11.	आबंटन के लिए विचाराधीन शेयरों, बांडों अथवा डिबेंचरों के अभिदान के रूप में प्राप्त राशि अथवा शेयरों की मांग की अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि (पुनर्वित्त के लिए देय नहीं)	235		
12.	वाणिज्यिक पत्र	236		
13.	निदेशकों के रिश्तेदारों से प्राप्त जमाराशियां	237		
14.	म्युच्युअल फंडों से उधार	238		
15.	कोई अन्य (जनता जमाराशि के रूप में नहीं समझी गई - कृपया उल्लेख करें)	239		
16.	कुल (221+225+226 से 233+235 से 239)	250		

अनुदेश :

आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों/ बांडों के मामले में उपर्युक्त भाग 2 के मद 9 के सामने केवल परिवर्तनीय अंश को दर्शाया जाए।

भाग - 3

निवल स्वाधिकृत पूंजी

[विवरणी की तारीख के पूर्व के अद्यतन तुलनपत्र अथवा विवरणी

की तारीख की स्थिति के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं]

[..... को तुलनपत्र]

मद सं.	ब्योरे	मद कोड	राशि
1.	पूंजीगत निधियां		
	(i) चुकता ईक्विटी पूंजी	311	
	(ii) चुकता अधिमान शेयर जो अनिवार्यतः ईक्विटी में परिवर्तनीय हैं	312	
	(iii) मुक्त आरक्षित निधियां (कृपया नीचे दिया गया अनुदेश सं.1 देखें)	313	
2.	कुल (311+312+313) = अ	310	
3.	(i) हानि का संचित अधिशेष	321	
	(ii) आस्थगित राजस्व व्यय का अधिशेष	322	
	(iii) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (कृपया उल्लेख करें)	323	
4.	कुल (321+322+323) = आ	320	
5.	स्वाधिकृत निधियां (अ - आ) अर्थात् (310 - 320) = इ	330	
6.	निम्नलिखित के शेयरों में निवेश का बही मूल्य :		
	(i) कंपनी की सहयोगी संस्थाएं	341	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां	342	
	(iii) अन्य सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (संलग्नक सं. में ब्योरे हैं)	343	

मद सं.	ब्योरे	मद कोड	राशि
7.	निम्नलिखित के डिबेंचरों और बांडों में निवेश का बही मूल्य : (i) कंपनी की सहयोगी संस्थाएं	344	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां (संलग्नक सं. में ब्योरे हैं)	345	
8.	निम्नलिखित के पास खरीदे/ भुनाए गए बिल, अंतर कॉर्पोरेट जमाराशियां, किराया खरीद और पट्टा वित्त, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) सहित बकाया ऋण और अग्रिम : (i) कंपनी की सहयोगी संस्थाएं	346	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां (संलग्नक सं. . . . में ब्योरे हैं) (कृपया नीचे दिया गया अनुदेश सं.2 देखें)	347	
9.	कुल (341 से 347) = ई	340	
10.	ई के 10% से अधिक इ (330 के 10% से अधिक 340) = उ	351	
11.	निवल स्वाधिकृत निधियां (330 - 351) = (इ - उ)	350	
12.	चुकता अधिमान शेयर पूंजी जो अद्यतन तुलनपत्र के अनुसार अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय नहीं है	361	
13.	चुकता अधिमान शेयर पूंजी जो इस विवरणी की तारीख की स्थिति के अनुसार अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय नहीं है।	362	
14.	विवरणी की तारीख से पूर्व अद्यतन तुलनपत्र के अनुसार कुल देयताएं	363	
15.	इस विवरणी की तारीख की स्थिति के अनुसार कुल देयताएं	364	

अनुदेश :

1. उपर्युक्त मद 1(iii) में उल्लिखित "**मुक्त प्रारक्षित निधियों**" में शेयर प्रीमियम खाता की शेषराशि, पूंजी एवं डिबेंचर शोधन प्रारक्षित निधियां और तुलन पत्र में दर्शायी अथवा

प्रकाशित और लाभ के किसी आबंटन के माध्यम से सृजित कोई अन्य प्रारक्षित निधि (लाभ-हानि खाते के जमा शेष सहित) शामिल होंगे लेकिन निम्नलिखित नहीं होंगे :

- (i) किसी भावी देयता की चुकौती अथवा परिसंपत्तियों के मूल्यहास अथवा अनर्जक परिसंपत्तियों/ संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधान हेतु सृजित प्रारक्षित निधि; अथवा
- (ii) कंपनी की परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यन द्वारा सृजित प्रारक्षित निधि।

2. किराया खरीद और पट्टा वित्त का अर्थ है :

- (i) किराया खरीद परिसंपत्तियों के मामले में, अपरिपक्व वित्त प्रभारों के इतिशेष द्वारा घटायी गई भावी प्राप्य किस्तों की राशि; और
- (ii) पट्टा परिसंपत्तियों के मामले में, पट्टा परिसंपत्तियों के हासित बही मूल्य जोड़/ घटाव पट्टा समायोजन खाते का शेष;

प्राप्य किन्तु प्राप्त नहीं की गई राशि को दोनों मामलों में जोड़ा जाना चाहिए।

भाग - 4

अंतर कॉर्पोरेट जमाराशियों/ वाणिज्यिक पत्रों सहित बकाया ऋण और अग्रिम

मद सं.	विवरण	मद कोड	राशि
1.	कंपनी की सहयोगी सस्थाओं में ऋण और अग्रिम आदि	411	
2.	उसी समूह की कंपनियां	412	
3.	कंपनियों, फर्मों और स्वामित्व प्रतिष्ठान, जहां कंपनी के निदेशक के हित पर्याप्त है/ रु। है (कृपया नीचे दिया गया अनुदेश सं. 1 देखें) (संलग्नक सं. में ब्योरे हैं)	420	
4.	अन्य :		
	(i) कंपनियां जो उस समूह की नहीं है	431	
	(ii) निदेशक/ प्रवर्तक	432	
	(iii) शेयर धारक	433	
	(iv) स्टाफ सदस्य	434	
	(v) जमाकर्ता	435	
	(vi) अन्य	436	
5.	कुल (411 + 412 + 420 + 431 से 436)	400	

अनुदेश :

- 1) "पर्याप्त हित" का वही अर्थ होगा जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 में निर्धारित है।
- 2) विविध देनदारों, अग्रिम में चुकाया गया कर और अन्य प्राप्य मदों जो ऋण और अग्रिम स्वरूप की नहीं हैं, को उपर्युक्त भाग 4 में न दर्शाया जाए।
- 3) अन्य कंपनियों के पास मीयादी जमा को मद 1, 2, 3 और 4(i) के तहत जैसा मामला हो, शामिल किया जाए।
- 4) कोट न किए गए डिबेंचरों में निवेशों को ऋण समझा जाएगा न कि निवेश।

भाग - 5(i)

निवेश (बही मूल्य पर)

मद सं.	विवरण	मद कोड	राशि
1.	निम्नलिखित में निवेश - (i) बैंक के पास मीयादी जमा/ बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाण-पत्र	541	
	(ii) बैंक(बैंकों) के पास किसी अन्य जमा खाते में शेष	542	
	(iii) केंद्र/राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां और केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत बांड	543	
	(iv) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटें	544	
	(v) अन्य (कृपया उल्लेख करें)	545	
2.	निम्नलिखित शेयरों में निवेश : (i) उद्धृत (कोटेड)	511	
	(ii) अनउद्धृत (अनकोटेड)	512	
3.	डिबेंचरों और बांडों में निवेश	515	
4.	कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों/ बांडों में निवेश जहां कंपनी के निदेशकों के पर्याप्त हित हैं (कृपया भाग-4 का अनुदेश सं.1 देखें) (संलग्नक सं. में ब्योरे हैं)	520	
5.	कुल (541 से 545 + 511 + 512 + 515 + 520)	500	

अनुदेश

- (1) निवेश खाते में अथवा स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में धारित शेयरों, डिबेंचरों और वाणिज्यिक पत्रों के ब्योरे इस भाग में शामिल किए जाएं।
- (2) अन्य कंपनियों के पास रखी मीयादी जमा को यहां शामिल न किया जाए किन्तु भाग 4 में दर्शाया जाए।
- (3) अनउद्धृत (अनकोटेड) डिबेंचरों/ बांडों में निवेश को जमा के रूप में न कि निवेश के रूप में समझा जाए।

भाग - 5(ii)

उद्धृत शेयर/डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र

मद सं.	विवरण	मद कोड	राशि
1.	बही मूल्य	551	
2.	बाजार मूल्य	552	

भाग - 6

किराया खरीद कारोबार

मद सं.	किराए पर लिए गए माल का स्वरूप	मद कोड	खाता सं.	राशि
1.	ऑटोमोबाइल :			
	(i) भारी व्यावसायिक वाहन	611		
	(ii) दुपहिए सहित हल्के व्यावसायिक वाहन	612		
	(iii) अन्य	613		
2.	कुल (611 + 612 + 613)	610		
3.	घरेलू टिकाऊ वस्तुएं	621		
4.	डाटा प्रोसेसिंग /ऑफिस ऑटोमेशन इक्विपमेंट	622		
5.	कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, बुलडोजर आदि)	623		
6.	उद्योग में उपयोग किए जानेवाले औद्योगिक मशीनरी अथवा औजार अथवा उपकरण	624		
7.	अन्य सभी	625		
8.	कुल (610+621 से 625)	600		
9.	उपर्युक्त 8 में से निम्नलिखित से बकाया - सहायक संस्थाएं/ उसी समूह की कंपनियां/ कंपनियां, फर्म और स्वामित्व प्रतिष्ठान जिसमें कंपनी के निदेशकों का पर्याप्त हित है।	691		

भाग -7

उपकरण पट्टे पर देने का कारोबार

मद सं.	पट्टे पर दिए जानेवाले उपकरण का स्वरूप	मद कोड	सकल पट्टाकृत परिसंपत्तियां	संचयित मूल्यहास +/- पट्टा समायोजन खाता	निवल पट्टाकृत परिसंपत्तियां + प्राप्य राशि जो प्राप्त नहीं हुई हैं
1.	संयंत्र और मशीनरी	701			
2.	डाटा प्रोसेसिंग/ कार्यालय उपकरण	702			
3.	वाहन	703			
4.	अन्य	704			
5.	कुल (701+702+703+704)	700			
6.	उपर्युक्त 5 में से, निम्नलिखित से बकाया सहायक संस्थाएं/ उसी समूह की कंपनियां/ कंपनियां, फर्म और स्वामित्व प्रतिष्ठान जहां कंपनी के निदेशकों की पर्याप्त हितधारिता है/ पर्याप्त रूि है	791			

भाग - 8

बिलों का कारोबार

मद सं.	विवरण	मद कोड	राशि
1.	खरीदे/ भुनाए गए बिल, जहां आहरणकर्ता, आहरिती या कोई पृष्ठांकनकर्ता निम्नलिखित हैं : (i) कंपनी की सहयोगी संस्थाएं	801	
	(ii) उसी समूह की कंपनियां	802	
	(iii) कंपनी या फर्म जहां कंपनी के किसी निदेशक की पर्याप्त हितधारिता है अथवा उसका स्वामित्व प्रतिष्ठान	803	
2.	उपर्युक्त 1 से इतर खरीदे/ भुनाए गए बिल	820	
3.	कुल (801 + 802 + 803 + 820)	800	

भाग - 9

अन्य मीयादी परिसंपत्तियों के ब्योरे

मद सं.	ब्योरे	मद कोड	राशि
1.	मीयादी परिसंपत्तियां		
	(i) निजी उपयोग के लिए भूमि और भवन	901	
	(ii) भूमि और भवन - अन्य	902	
	(iii) फर्नीचर और फिक्सर	903	
	(iv) वाहन	904	
2.	अमूर्त परिसंपत्तियों को छोड़कर अन्य परिसंपत्तियां	905	
3.	अन्य परिसंपत्तियों का जोड़ (901+902+903+904+905)	910	
4.	कुल परिसंपत्तियां [अमूर्त को छोड़कर] (400+500+600+700+800+910)	900	

भाग - 10

31 मार्च 200__ को समाप्त वर्ष के लिए कारोबारी आंकड़े/ सूचना

मद सं.	ब्योरे	मद कोड	राशि
1.	1. संवितरण (निधि आधारित क्रियाकलाप) उपकरण पट्टे पर देना :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशि	1001	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1002	
2.	किराया खरीद :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशि	1003	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1004	
3.	ऋण		
	(क) कार्पोरेटों को शेयरों पर ऋण :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशि	1005	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1006	
	(ख) व्यक्तियों को शेयरों पर ऋण :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशि	1007	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1008	
	(ग) ब्रोकरों को शेयरों पर ऋण :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशि	1009	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1010	
	(घ) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपीओ) के वित्तपोषण हेतु ऋण :		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशि	1011	
(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1012		

मद सं.	ब्योरे	मद कोड	राशि
	(ड) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण/जमाराशियां		
	(i) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशि	1013	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1014	
	(च) अन्य	1015	
4.	खरीदे/ भुनाए गए बिल :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशि	1016	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	1017	
5.	4 में से, बिल पुनर्भुनाई :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशि	1018	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	1019	
6.	II. शेयरों/प्रतिभूतियों में व्यापार(एसएलआर से इतर कोट किए गए) शेयरों/डिबेंचरों/वाणिज्यिक पत्रों की खरीद/बिक्री: (क) खरीद	1020	
	(ख) बिक्री	1021	
	III. शुल्क आधारित क्रियाकलाप		
7.	पूंजी बाजार परिचालन के लिए जारी गारंटियां :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशि	1022	
	(ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	1023	
8.	अन्य प्रयोजनों के लिए जारी गारंटियां :		
	(क) विवरणी की तारीख को बकाया शेष राशि	1024	

मद सं.	ब्योरे	मद कोड	राशि
	(ख) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	1025	
9.	वर्ष के दौरान सामूहिक पट्टा / किराया खरीद	1026	
10.	वर्ष के दौरान सिंडिकेटेड ऋण/ आइसीडीज	1027	
11.	वर्ष के दौरान सिंडिकेटेड बिल	1028	
12.	जोखिम अंकन :		
	(क) जोखिम अंकित कुल राशि	1029	
	(ख) अंतरित राशि	1030	
	(ग) बकाया वायदा	1031	

भाग - 10(अ)

अतिदेय राशियों की स्थिति

मद सं.	ब्योरे	मद कोड	राशि
1.	12 महीने से अधिक पट्टा अतिदेय राशियां	1041	
2.	12 महीने तक पट्टा अतिदेय राशियां	1042	
3.	12 महीने से अधिक किराया खरीद अतिदेय राशियां	1043	
4.	12 महीने तक किराया खरीद अतिदेय राशियां	1044	
5.	6 महीने से अधिक अन्य अतिदेय राशियां	1045	
6.	6 महीने तक अन्य अतिदेय राशियां	1046	
7.	कुल (1041 से 1046)	1040	

भाग - 11

चुनिन्दा आय और व्यय के ब्योरे

(कृपया नीचे दिया गया अनुदेश देखें।)

	निधि आधारित आय		
1	सकल पट्टा आय	1101	
2	घटाएं : पट्टा पर परिसंपत्तियों पर मूल्यहास +/- पट्टा समकरण	1102	
3	निवल पट्टा आय (1101-1102)	1103	
4	किराया खरीद आय	1104	
5	बिल भुनाई आय	1105	
6	निवेश आय (क) लाभांश / ब्याज	1106	
	(ख) शेयरों/ डिबेंचरों/ वाणिज्यिक पत्रों की बिक्री पर लाभ/हानि (+/-)	1107	
7	ब्याज आय (क) अंतर-कॉर्पोरेट जमाराशियां/ ऋण	1108	
	(ख) अन्य ऋण और अग्रिम	1109	
8	अन्य निधि आधारित आय	1110	
9	कुल निधि आधारित आय (1103 से 1110)	1111	
	शुल्क आधारित आय		
10	वाणिज्यिक बैंकिंग क्रियाकलापों से आय	1112	
11	जोखिम अंकन कमीशन	1113	
12	बिल, ऋण, अंतर कॉर्पोरेट जमाराशियां, पट्टा एवं किराया खरीद के सिंडिकेशन से आय	1114	
13	विविध आय	1115	
14	कुल शुल्क आधारित आय (1112 से 1115)	1116	

15	कुल आय (1111 + 1116)	1100	
	<u>ब्याज और अन्य वित्तपोषण लागत</u>		
16	मीयादी जमाराशियों पर अदा किया गया ब्याज	1117	
17	अंतर-कॉर्पोरेट जमाराशियों पर अदा किया गया ब्याज	1118	
18	दलाली	1119	
19	दलाल को व्यय की प्रतिपूर्ति	1120	
20	अन्य वित्तपोषण लागत	1121	
21	बिल पुनर्भुनाई प्रभार	1122	
22	कुल वित्तपोषण लागत (1117 से 1122)	1123	
	<u>परिचालन व्यय</u>		
23	कर्मचारी लागत	1124	
24	अन्य प्रशासनिक लागत	1125	
25	कुल परिचालन लागत (1124+1125)	1140	
26	स्वयं की परिसंपत्ति पर मूल्यहास	1126	
27	परिशोधित अमूर्त परिसंपत्तियां	1127	
28	निवेशों के मूल्य में हास के लिए प्रावधान	1128	
29	अनर्जक परिसंपत्तियों पर प्रावधान	1129	
30	अन्य प्रावधान, यदि कोई हो	1130	
31	कुल व्यय (1123+1140+1126 से 1130)	1150	
32	कर पूर्व लाभ (1100 - 1150)	1160	
33	कर	1170	
34	करोत्तर लाभ (1160 - 1170)	1180	

अनुदेश :

- (1) इस भाग में ब्योरे पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होने चाहिए। यदि कंपनी 31 मार्च से इतर किसी अन्य तारीख को अपनी बहियां बंद करती है तो बहियों की बंदी की तारीख और अवधि बताई जाए।
- (2) 'सकल पट्टा आय' में पट्टा कारोबार (किए गए/ अंतिम रूप दिए गए पट्टा करार के संबंध में परिसंपत्तियों की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान पर ब्याज/ क्षतिपूर्ति सहित) से संबंधित पट्टा किराया (छूट का निवल), पट्टा प्रबंधन शुल्क, पट्टा सेवा प्रभार, अपफ्रंट फीस, पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ और विलंबित/ विलंब भुगतान प्रभार शामिल हैं।
- (3) 'पट्टा समकरण लेखा' का अर्थ वही है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी गाइडेंस नोट ऑन एकाऊंटिंग फॉर लीज (संशोधित) में दिया गया है।
- (4) 'किराया खरीद आय' में किराया खरीद कारोबार (अभिनिर्धारित किराएदारों के लिए किराया खरीद परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अग्रिम भुगतान पर अर्जित ब्याज सहित) से संबंधित वित्त प्रभार (छूट का निवल) किराया सेवा प्रभार विलंबित/ विलंब भुगतान प्रभार, अपफ्रंट फीस और अन्य आय शामिल हैं।

प्रमाणपत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता से जमाराशि स्वीकार (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998* (समय-समय पर यथासंशोधित)/ विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977*, जैसा मामला हो, में दिये गये निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।
2. आगे यह प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी में दिए गए ब्योरे/ सूचना की सत्यता की जांच की गई है और उन्हें सभी दृष्टि से सही और पूर्ण पाया गया है।

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने इस विवरणी में दिए गए आंकड़ों के संबंध में
. कंपनी लिमि. द्वारा रखी गई लेखा बहियों और अन्य रिकार्डों की जांच की है और रिपोर्ट करते हैं कि हमारी बेहतरीन जानकारी और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए रिकार्डों के अनुसार इस विवरणी में प्रस्तुत आंकड़े सही हैं।

स्थान :

हस्ताक्षर

तारीख :

सनदी लेखाकार का नाम

.....

विवरणी के संलग्नक :

1. निम्नलिखित दस्तावेज, यदि वे पहले ही नहीं भेजे गए हैं तो उन्हें विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाए। कृपया संलग्न दस्तावेजों से संबंधित मद के बाक्स को टिक करें और अन्य मामलों में प्रस्तुति की तारीख का उल्लेख करें।

- (i) विवरणी की तारीख से सबसे नजदीकी तारीख के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते की एक प्रति।
- (ii) नमूना हस्ताक्षर कार्ड।
- (iii) 2 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी.118/ डीजी (एसपीटी)-98 के पैराग्राफ 4(12) या 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी.39/ डीजी (एच)-77 के पैरा 6 में उल्लिखित आवेदन फार्म की एक प्रति।

2. संलग्न फार्म में इस विवरणी के साथ प्रधान अधिकारियों और निदेशकों के नाम और पते की सूची भेजी जाए।

भाग - 12

----- लिमिटेड के प्रधान अधिकारियों और निदेशकों की सूची

I. प्रधान अधिकारी

क्रम सं.	नाम	पदनाम	पता और टेलीफोन सं.	यदि किसी कंपनी/ कंपनियों में निदेशक हैं, तो कंपनी/ कंपनियों के नाम

II. निदेशक

क्रम सं.	नाम	पता	निदेशक, उसकी पत्नी उसके पति और छोटे बच्चों द्वारा धारित कंपनी के ईक्विटी शेयरों का प्रतिशत	अन्य कंपनियों के नाम जहां वह निदेशक हैं

प्रबंधक/ प्रबंध निदेशक/ प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर _____

नाम : _____

पदनाम : _____

स्थान :

तारीख :